न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी राजगढ़(अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार (R.A.S)

कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत मल्लाना

वाद संख्या–2/40/12

अनुवान

1. रामजीलाल पुत्र मांग्या जाति बलाई नि0 दून्दपूरी तहसील राजगढ़ ....प्रार्थी

बनाम

1. मूली देवी पत्नि नारायण
2. बाबूलाल पुत्र नारायण
3. बम लहरी पुत्र नारायण
4. दयाराम पुत्र नारायण
5. देवाराम पुत्र मांगेलाल
6. भौरा पत्नि बद्री
7. रामकिशन पुत्र बद्री
8. प्रेम पुत्री बद्री
9. उगनति पुत्री बद्री
10. बसंती पुत्री बद्री
11. तहसीलदार राजगढ़ ....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी. एक्ट

22.05.2018 आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय स्वप्रेरणा से कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत मल्लाना तहसील राजगढ़ पर पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा वाद इस्तकरारक,तकसीम आराजी व स्थाई निषेद्याज्ञा के साथ प्रार्थना पत्र उक्त 212 आर.टी.एक्ट का पेश कर आराजी खसरा न0 325/0.20, 366/0.22, 367/0.28, 368/0.31, 369/0.12, 370/0.19, 371/0.06, 372/0.05, 373/0.05, 374/0.06, 375/0.09, 376/0.07, 377/0.09, 378/0.15, 379/0.15, 380/0.18, 381/0.15, 382/0.39, 383/0.11, 384/0.17, 385/0.67, 386/0.56, 387/0.24, 388/0.11, 389/0.13, 390/0.34, 391/0.22, 392/0.69, 393/0.6, 394/0.19, 395 /0.19, 396/0.22 ,397/0.18, 399/0.10, 400/0.08, 401/0.07, 403/0.19, 404/0.07, 405/0.07, 406/0.08, 409/0.02, 410/0.03, 413/0.05, 414/0.03, 415/0.4, 416/0.09, 417/0.33, 418/0.35, 418/658/0.27 हैक्टेयर वाके ग्राम दून्दपूरी तहसील राजगढ़ में स्थित है के बाबत अप्रार्थीगण को अंतरिम अस्थाई निषेद्याज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया की वो उक्त आराजी पर निर्माण न करे रहन,बय द्वारा मुन्तकिल न करे कार्यकास्त प्रार्थी में किसी प्रकार की रूकावट व मजहामत न करें। उक्त प्रार्थना पत्र पर इकतरफा बहस सुनी जाकर दिनांक 02.02.2012 को अप्रार्थीगण के विरूद्ध अंतरिम अस्थाई निषेद्याज्ञा इस आश्य की जारी की गई की वो विवादित आराजी की मौका एवं रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखे तथा आराजी का बेचान न करे व निर्माण नहीं करें। तथा अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब करने के आदेश जारी किये गये हैं।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया प्रकरण में अंतरिम अस्थाई निषेद्याज्ञा का आदेश दिनांक 02.02.2012 से विचाराधीन हैं। मूल वाद इस्तकरारक,तकसीम आराजी व स्थाई निषेद्याज्ञा का विचाराधीन चल रहा है।

Web Copy - Not Official

प्रकरण में वाद सुनवाई वाद का निस्तारण होना शेष हैं। प्रार्थना पत्र 212 जो कि 02.02.2012 से अर्थात 5 वर्ष से अधिक समय से विचाराधीन चल रहा हैं। अतः मैं उक्त प्रार्थना पत्र का दोनों पक्षकारों को दावे के निर्णय तक अंतरिम अस्थाई निषेद्याज्ञा से मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद करते हुए निर्णय करना उचित समझता हूॅ। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अतंर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट हाल आराजी खसरा न0325 / 0.20, 366 / 0.22, 367 / 0.28, 368 / 0.31, 369 / 0.12, 370 / 0.19, 371 / 0.06, 372 / 0.05, 373 / 0.05, 374 / 0.06, 375 / 0.09, 376 / 0.07, 377 / 0.09, 378 / 0.15, 379 / 0.15, 380 / 0.18, 381 / 0.15, 382 / 0.39, 383 / 0.11, 384 / 0.17, 385 / 0.67, 386 / 0.56, 387 / 0.24, 388 / 0.11, 389 / 0.13, 390 / 0.34, 391 / 0.22, 392 / 0.69, 393 / 0.6, 394 / 0.19, 395 / 0.19, 396 / 0.22 ,397 / 0.18 ,399 / 0.10 ,400 / 0.08, 401 / 0.07 ,403 / 0.19, 404 / 0.07 ,405 / 0.07 ,406 / 0.08 ,409 / 0.02 ,410 / 0.03 ,413 / 0.05 ,414 / 0.03 ,415 / 0.4 ,416 / 0.09 ,417 / 0.33 ,418 / 0.35 , 418 / 658 / 0.27 हैक्टेयर वाके ग्राम दून्दपूरी तहसील राजगढ़ के लिए दोनो ही पक्षकारों को जर्यें अतरिम अस्थाई निषेद्याज्ञा से दावे के निर्णय तक पाबंद किया जाता है कि वो उक्त वर्णित आराजी की मौका व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखे।

निर्णय आज दिनांक 22.05.2018 को लिखाया जाकर कैम्प कोर्ट मल्लाना पर सुनाया।

(पवन कुमार आर.ए.एस)
उपखण्ड़ अधिकारी राजगढ़
कैम्प कोर्ट मल्लाना

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official